

| Published by:         NEERAJ PUBLICATIONS         Sales Office : 1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110 006         E-mail: info@neerajignoubooks.com         Website: www.neerajignoubooks.com   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only Typesetting by: Computers Orinted at: Novelty Printer  |  |  |  |  |
| <b>Notes:</b><br>1. For the best & upto-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.   |  |  |  |  |
| 2. This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board /University.   |  |  |  |  |
| 3. The information and data etc. given in this Book are from the best of the data arranged by the Author, but for the complete and upto-date information and data etc. see the Govt. of India Publications/textbooks recommended by the Board/University.  |  |  |  |  |
| 4. Publisher is not responsible for any omission or error though every care has been taken while preparing, printing, composing and proof reading of the Book. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading etc. are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. If any reader is not satisfied, then he is requested not to buy this book.   |  |  |  |  |
| 5. In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.  |  |  |  |  |
| 6. If anyone finds any mistake or error in this Book, he is requested to inform the Publisher, so that the same could be rectified and he would be provided the rectified Book free of cost.   |  |  |  |  |
| <ol> <li>The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question<br/>paper.</li> </ol>  |  |  |  |  |
| 8. Question Paper and their answers given in this Book provide you just the approximate pattern of the actual paper<br>and is prepared based on the memory only. However, the actual Question Paper might somewhat vary in its<br>contents, distribution of marks and their level of difficulty.   |  |  |  |  |
| 9. Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS/NEERAJ IGNOU BOOKS" published by<br>"NEERAJ PUBLICATIONS" on Websites, Web Portals, Online Shopping Sites, like Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal,<br>etc. is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale<br>activity by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE<br>of NEERAJ IGNOU BOOKS/NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.  |  |  |  |  |
| 10. Subject to Delhi Jurisdiction only.  |  |  |  |  |
| $\bigcirc$ Reserved with the Publishers only.  |  |  |  |  |
| <b>Spl. Note:</b> This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.  |  |  |  |  |
| How to get Books by Post (V.P.P.)?   |  |  |  |  |
| If you want to Buy NEERAJ IGNOU BOOKS by Post (V.P.P.), then please order your complete requirement at our Website www.neerajignoubooks.com. You may also avail the 'Special Discount Offers' prevailing at that Particular Time (Time of Your Order).   |  |  |  |  |
| To have a look at the Details of the Course, Name of the Books, Printed Price & the Cover Pages (Titles) of our NEERAJ<br>IGNOU BOOKS You may Visit/Surf our website <b>www.neerajignoubooks.com.</b><br>No Need To Pay In Advance, the Books Shall be Sent to you Through V.P.P. Post Parcel. All The Payment including the Price<br>of the Books & the Postal Charges etc. are to be Paid to the Postman or to your Post Office at the time when You take the<br>Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us by Charging some extra M.O. Charges.<br>We usually dispatch the books nearly within 4-5 days after we receive your order and it takes Nearly 5 days in the postal<br>service to reach your Destination (In total it take atleast 10 days). |  |  |  |  |
| NEERAJ PUBLICATIONS  |  |  |  |  |
| (Publishers of Educational Books)  |  |  |  |  |
| (An ISO 9001 : 2008 Certified Company)<br>1507, 1st Floor, NAI SARAK, DELHI - 110006   |  |  |  |  |
| Ph. 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501   |  |  |  |  |
| E-mail: info@neerajignoubooks.com Website: www.neerajignoubooks.com  |  |  |  |  |

# CONTENTS

# पारिवारिक जीवन शिक्षा का परिचय (Introduction to Family Life Education)

Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)

| Question Paper—June, 2019 (Solved)     | 1-4 |
|--|-----|
| Question Paper—June, 2018 (Solved)     | 1-2 |
| Question Paper—June, 2017 (Solved)     | 1-2 |
| Question Paper—June, 2016 (Solved)     | 1-2 |
| Question Paper—June, 2015 (Solved)     | 1-3 |
| Question Paper—June, 2014 (Solved)     | 1-2 |
| Question Paper—June, 2013 (Solved)     | 1-2 |
| Question Paper—June, 2012 (Solved)     | 1-2 |
| Question Paper—December, 2011 (Solved) | 1-2 |
| Question Paper—December, 2010 (Solved) | 1-2 |
|  |     |

## S.No.

# Chapterwise Reference Book

# Page

## परिवार शिक्षा (Family Education) 1. परिवार जीवन की संकल्पना (Concept of Family Life) 1 2. परिवार जीवन शिक्षा : संकल्पना और अर्थ (Family Life Education: Concept and Meaning) 8 3. परिवार जीवन शिक्षा का महत्त्व (Importance of Family Life Education) 15 4. परिवार जीवन शिक्षा में घर, विद्यालय और धर्म की भूमिका 19 (Role of Family, School and Religion in Family Life Education) 5. जीवन में नैतिक मूल्यों और व्यक्तित्व का विकास 25 ( Development of Moral Values and Personality in Life ) जीवन कौशल शिक्षा (Life Skill Education) 6. जीवन कौशल शिक्षा में मुल संकल्पनाएँ ( Basic Concepts in Life Skill Education ) 35 7. पुरुष और स्त्री की समझ (Knowledge of Sex and Gender) 38

| S.No.                   | Chapter   | Page |
|-------------------------|---|------|
| 8. जीवन कौशल र्ा        | शक्षा : संकल्पना और उद्देश्य ( Life Skill Education: Concept and Aim )  | 44   |
|                         | शेक्षा : घर, विद्यालय और मीडिया की भूमिका<br>Ication: Role of Family, School and Media )  | 49   |
| जीवन के तथ              | य : विकास की ओर (Facts of Life: Towards Development   | )    |
| 10. पुरुष प्रजनन तंत्र  | और उसकी कार्यप्रणाली ( Male Reproduction System and its Functioning )   | 55   |
| 11. स्त्री प्रजनन तंत्र | और उसकी कार्यप्रणाली (Female Reproduction System and its Functioning)   | 59   |
|                         | ी प्रारंभिक अवस्थाएँ : जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष<br>ages of Human Development: Biological, Social and Psychological Aspects ) | 64   |
|                         | ी परिवर्ती अवस्थाएँ : जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष<br>of Human Development: Biological, Social and Psychological Aspects )       | 70   |
| 14. युवा वर्ग और उ      | नसे संबंधित मुद्दे ( Young Generation and Related Issues )  | 77   |
| विवाह की स              | माजिक संस्था (Social Agency of Marriage)  |      |
|                         |   |      |
| 15. विवाह आर पारव       | त्रार : जीवन साथी का चयन ( Marriage and Family: Selection of Life Partner )   | 84   |
| 16. भारत में विवाह      | ( Marriage in India )   | 95   |
| <b>,</b>                | धर्म और पारिवारिक मूल्य   | 104  |
|                         | re, Religion and Family Values )  |      |
| 18. वैवाहिक जविन        | और अपेक्षित भूमिका ( Married Life and Expected Role )   | 113  |
|                         | ण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम<br>rogrammes for Family Welfare )   |      |
| 19. संक्रमण काल मे      | भारतीय परिवार (Indian Families in Transit Period)   | 120  |
| 20. परिवार नियोजन       | नीतियाँ (Family Planning Policies)  | 126  |
|                         | के उपाय एवं शिशु जन्म में अंतराल<br>ng Policy Measures and Gaps in Child Birth )  | 130  |
| 22. चिकित्सीय गर्भप     | ात और इससे संबंधित मुद्दे ( Medicinal Abortion and Related Issues )   | 134  |

| S.No.            | Chapter  | Page    |
|------------------|--|---------|
| वैवाहिक जी       | विन में प्रमुख समस्याएँ (Main Problems in Married Life)                                  | <u></u> |
| 23. तलाक, अलग    | ाव व प्रवास के मनो-सामाजिक प्रभाव<br>sial Effects of Divorce, Separation and Migration ) | 139     |
| 24. दहेज मॉॅंग औ | र दहेज मृत्यु (Dowry Demand and Dowry Death)   | 144     |
| 25. विवाह से संब | धित कानूनी मुद्दे ( Marriage Related Legal Issues )                                      | 152     |
|                  |  |         |
|                  |  |         |
|                  |  |         |



# **QUESTION PAPER**

(June – 2019)

## (Solved)

## पारिवारिक जीवन शिक्षा का परिचय

समय : 3 घण्टे |

| अधिकतम अंक : 100

नोट : (i) सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ii) सभी प्रश्नों के **अंक समान** हैं।

प्रश्न 1. पारिवारिक जीवन शिक्षा में मूल्यों के महत्त्व पर प्रकाश डालें। उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ-3, 'परिवार जीवन शिक्षा में विभिन्न प्रकार के मूल्यों का महत्त्व' अथवा किशोरावस्था के विकास के पहलुओं की चर्चा करें। उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-13, पृष्ठ-71, 'किशोरावस्था के विकासात्मक पहलु' करें। प्रश्न 2. गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन अधिनियम, 1971 के मख्य प्रावधानों की चर्चा करें। उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-22, पृष्ठ-135, 'चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम, 1971 अथवा चयन' नैतिक विकास के सिद्धांतों की व्याख्या करें। **उत्तर-संदर्भ-**देखें अध्याय-5, पृष्ठ-28, 'नैतिक विकास के सिद्धांत' प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए– (a) पारिवारिक जीवन रिश्ते और संबंध के महत्त्वों को स्पष्ट करें। उत्तर—पारिवारिक रिश्तों को एक परिवार के विभिन्न सदस्यों हैं– के बीच संबंध (रक्त, विवाह, अपनाने, आदि) का संबंध है। बच्चे के समग्र विकास और कल्याण के लिए सकारात्मक परिवार के रिश्तों को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। स्वस्थ परिवार के रिश्ते माता-पिता से अपने बच्चों तक अच्छी आदतों को प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा परिवार हमें अभिनय, सोच और भावनाओं के विशिष्ट तरीकों को सिखाता है। मित्र, शिक्षक, प्लेमेट्स और अन्य सहयोगी

अपेक्षाकृत अस्थायी प्रभाव हैं। पारिवारिक रिश्ते समुदाय में जीवन

की नई पीढ़ी को तैयार करने में उत्कृष्ट भूमिका निभाते हैं।

बूढ़े लोगों के लिए स्वस्थ परिवार के रिश्तों का अत्यंत महत्व है उनके बच्चों और अन्य सदस्यों के बीच मजबूत संबंध होने पर वे अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों के अलावा, अन्य कारक जो समाजीकरण और समग्र विकास के लिए योगदान देते हैं, वे शैक्षणिक संस्था, सहकर्मी समूह, कार्य समूह और विभिन्न सामाजिक मीडिया हैं।

*(b)* युवा के लिए यौन स्वास्थ्य शिक्षा के महत्त्व की चर्चा करें।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-9, पृष्ठ-49, 'यौन स्वास्थ्य शिक्षा का महत्त्व'

*(c)* जीवन साथी चुनने के लिए मुख्य मानदंड क्या है? उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-15, पृष्ठ-87, 'जीवन साथी का न'

(d) भारतीय समाज में तलाक के कारणों की सूची बनाएं।

**उत्तर**—तलाक के बहुत से कारण हो सकते हैं और वो पति-पत्नी दोनों से ही संबंधित हो सकते हैं। शादी करने में जितना समय लगता है, उतना आज के समय तलाक में नहीं लगता है। इस दौर के भारतीय समाज में तलाक के मामले में इसलिए तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि नई जनरेशन में एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रह गया। आइये जानते हैं कि तलाक के मुख्य कारण क्या-क्या हो सकते हैं—

 पति-पत्नी को एक-दूसरे का व्यवहार पसंद न आना। मतलब एक-दूसरे की सोच का न मिलना।

 दोनों में से किसी एक के भी घरवालों की दखलंदाजी तथा उनके हर मामले को लेकर राय देने के कारण भी तलाक की नौबत आ जाती है।

3. दोनों या किसी एक को छोटी-छोटी बातों पर भी गुस्सा आना और छोटी-छोटी बातों पर बहस होने के कारण भी यह समस्या आ जाती है।

# www.neerajbooks.com

2 / NEERAJ : परिवार जीवन शिक्षा का परिचय (JUNE-2019)

 अहं का टकराव होने के कारण, क्योंकि आज के समय में लोगो की सोच में काफी बदलाव आया है।

 अच्छे संस्कारों की कमी होने के कारण भी यह समस्या आ सकती है।

 6. रिश्तों को दिमाग से तोलना कभी भी रिश्तों को समझने के लिए दिल का इस्तेमाल न करना।

7. कई बार लड़की या लड़का एक-दूसरे का चेहरा या बाहरी दिखावा देखकर आकर्षित हो जाते हैं, परंतु शादी होते ही एक-दूसरे का व्यवहार सामने आने पर लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है।

 कुछ लड़कियां शादी के बाद तलाक को कमाई का साधन भी बना लेती हैं।

9. आजकल के लड़के-लड़कियां प्रेम किसी और से करते हैं, पर कई बार घरवालों के डर से शादी किसी और से कर लेते हैं। फिर उन्हें उस रिश्ते में घुटन होने लग जाती हैं और वो एक-दूसरे को तलाक देने के लिए बहाने ढूंढने लगते हैं।

10. पति-पत्नी के बीच प्रॉपर्टी का झगड़ा होने कारण मतलब की आज-कल पैसे के लिए भी तलाक देना शुरू कर देते हैं। और पिछले कुछ दिनों में यह तलाक का बड़ा कारण बना है।

11. तलाक का बड़ा कारण कई बार छोटे बच्चे की जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि काम करने वाली महिलायें जब बच्चे को संभालती हैं, तो कही न कही उनकी सोच के बीच टकराव हो जाता है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें-(a) जिम्मेदार पितृत्व के निहितार्थ क्या हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-13, प्रश्न 3

(b) बुढ़ापे की प्रक्रिया से संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख करें।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-13, पृष्ठ-73, 'विकास में हास और वृद्धावस्था', पृष्ठ-74, प्रश्न 3

(c) युवाओं की चिंताओं से निपटने की रणनीतियों की सूची बनाएं।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-14, पृष्ठ-81, 'कार्यनीतियां और सुझाव'

(d) परिवार के कार्यों की व्याख्या करें।

उत्तर—परिवार सुरक्षा प्रदान करता है। निश्चित रूप से परिवार नवजात शिशुओं व बच्चों, किशोरों, बीमारों और बुजुर्गों की सबसे अच्छी देखभाल करता है।

यह अपने सदस्यों को एक ऐसा भावनात्मक आधार देता है, जो अन्यथा संभव नहीं। इस प्रकार की भावना बच्चों के स्वस्थ विकास के लिये अपरिहार्य है। दरअसल, परिवार एक प्राथमिक समूह है जो सदस्यों के बीच एक अंतरंगता व स्नेह के स्वतंत्रा प्रदर्शन की आज्ञा देता है। यह अपने सदस्यों को शिक्षित करता है, जो पारिवारिक परिवेश में जीवन जीना सीखते हैं। बच्चों को समाज के नियम सिखाये जाते हैं और यह भी कि अन्य लोगों के साथ किस प्रकार मेल–जोल रखना है व बुजुर्गों के प्रति आदर व उनकी आज्ञा का पालन किस तरह से करना है आदि।

यह आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आधारभूत जरूरतें जैसे–भोजन, आवास व कपड़ा उपलब्ध कराया जाता है। वे घर के कार्य व जिम्मेदारियों में हाथ बँटाते हैं।

परिवार प्रसन्नता का स्रोत भी हो सकता है, जहाँ सभी सदस्य एक-दूसरे से बात-चीत कर सकते हैं, खेल सकते हैं व भिन्न-भिन्न गतिविधियाँ कर सकते हैं। ये गतिविधियाँ घरेलू कार्य से लेकर त्यौहार या फिर जन्म, सगाई व विवाह आदि की हो सकती हैं।

परिवार बच्चों के समाजीकरण का कार्य भी करता है। माता-पिता बच्चों को लोगों के साथ मिल जुलकर रहने, प्रेम करने, हिस्सेदारी, जरूरत के समय मदद व जिम्मेदारी निर्वहन का पाठ भी पढ़ाते हैं। परिवार बच्चों में मनोवृत्तियों व मूल्यों का पोषण करता है और उनकी आदतों को प्रभावित करता है। परिवारों में ही परम्परागत कौशल सिखाये जाते हैं। परिवार ही अपने नन्हे सदस्यों को स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिये तैयार करता है।

परिवार यौन संबंधी कार्य भी करता है, जो प्रत्येक प्राणी की जैविक आवश्यकता है। आप जानते ही हैं परिवार का अर्थ विवाह है और सभी समाज विवाह के बाद स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंधों को स्वीकृति देते हैं।

विवाहित पुरुष व महिला के शारीरिक संबंधों के फलस्वरूप परिवार में प्रजनन का कार्य भी पूर्ण होता है। जन्म लेने वाले बच्चे समाज के भविष्य के सदस्य होते हैं।

(e) परिवार नियोजन की जरूरत के बारे में चर्चा करें।

उत्तर-परिवार नियोजन से किसी व्यक्ति या परिवार को इच्छानुसार संतान की संख्या तथा गर्भधारण के बीच समय-सीमा पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। परिवार नियोजन अनियोजित या अनपेक्षित गर्भधारण से बचाव के लिए महिलाओं तथा युगलों के लिए गर्भनियोजन पद्धतियों के प्रयोग के माध्यम से परिवार नियोजन सुरक्षित रखता है, इसलिए परिवार नियोजन के गर्भनिरोधक का प्रयोग आवश्यक है।

परिवार नियोजन से गर्भधारण के बीच समय-सीमा की छूट देना है तथा स्वास्थ्य समस्याओं के उच्चतर जोखिम वाली महिलाओं को गर्भधारण में देरी की भी सुविधा प्रदान करता है। परिवार नियोजन शुरू करके, किसी महिला को बच्चे को संभावित बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी चिंता से बचाया जा सकता है।



# परिवार जीवन शिक्षा का परिचय

# (INTRODUCTION TO FAMILY LIFE EDUCATION)

(परिवार शिक्षा (Family Education) परिवार जीवन की संकल्पना (Concept of Family Life)

परिचय

विभिन्न सामाजिक विचार परिवार को समाज की नींव मानते हैं। प्राचीन काल से एक वयस्क पुरुष का वयस्क महिला के साथ विवाह परिवार की रचना का आधार रहा है। परिवार में ही बच्चों का जन्म होता है। उन्हें शिक्षा दी जाती है, उनका लालन-पालन किया जाता है। विगत वर्षों से विश्वव्यापी समाज परिवार-प्रतिमानों में होने वाले बदलावों के साक्षी हैं। वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद के आधुनिक वातावरण से परिवार और घरों की संरचना बदल गई है। इन बदलावों के कारण सामाजिक समस्याएं और निजी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। कई देशों के लोग आधुनिक परिवार जगत को द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व के संसार से काफी अलग रूप में देखते हैं। इसके बावजूद सामाजिक संगठनों की नींव के रूप में परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं का अस्तित्व विद्यमान है।

इस अध्याय के अंतर्गत समाज की मूल इकाई के रूप में परिवार की संकल्पना को समझने, परिवार के अर्थ, विवाह और संबंधों के महत्त्व तथा पारिवारिक मूल्यों और बंधन की संकल्पना आदि की चर्चा की गई है।

्अध्याय का विहंगावलोकन )

#### परिवार और विवाह की सामाजिक संस्थाएँ

किसी भी समाज की बुनियादी संस्था परिवार होती है। परिवार में माता-पिता तथा बच्चे आते हैं। संसार के प्रत्येक समाज में इस बुनियादी इकाई को सुरक्षित रखने के लिए विवाह की पवित्रता, उसका स्थायित्व, परस्पर स्नेह आदि प्रमुख शक्तियां हैं। विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में किसी भी अन्य विचार को ज्यादा महत्त्व प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता के संबंध में अत्यधिक विचार-विमर्श हो रहा है। उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण के इस युग में विवाह और परिवार के पारंपरिक एवं प्राचीनतम संस्थानों पर इसके नकारात्मक परिणाम क्या होंगे, इस पर विचार किए बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया जा रहा है। मुलभूत संकल्पनाएँ

मूलभूत संकल्पनाओं के संदर्भ में सामाजिक संस्थाओं में परिवार, रिश्तेदारी (सगोत्रता) और विवाह की बुनियादी संकल्पनाओं को जानना जरूरी है।

#### परिवार

अनेक समाजशास्त्री परिवार को समाज की नींव मानते हैं। जार्ज पीटर मरडाक का मानना है कि परिवार एक सामाजिक समूह है, जिसमें सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और संतान उत्पत्ति आदि शामिल हैं। इसमें वयस्क पुरुष तथा वयस्क स्त्री सामाजिक रूप से मान्य लैंगिक संबंधों को बनाए रखते हैं तथा उनके अपने या गोद लिए एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं। एंथोनी गिडेन्स के अनुसार परिवार व्यक्तियों का वह समूह है, जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है और जिसके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी वयस्क सदस्य लेते हैं।

#### 2 / NEERAJ : परिवार जीवन शिक्षा का परिचय

#### सगोत्रता/रिश्तेदारी

सगोत्रता का शाब्दिक अर्थ है रक्त संबंधी। यह वैवाहिक संबंधों के माध्यम से तथा पीढ़ी की वंशावली के माध्यम से बनती है। सगोत्रता आनुवंशिक वंशावली या विवाह वंशावली से शुरू होती है।

#### विवाह

विवाह वयस्क महिला और वयस्क पुरुष का एक साथ रहने और संतान पैदा करने का एक कानूनी रूप से मान्य संबंध है। इसे समाज, राज्य और धर्म की स्वीकृति प्राप्त होती है। भारत में महिला व पुरुष के विवाह की निर्धारित आयु क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष है। इस प्रकार विवाह एक सामाजिक संस्था है, जो विवाहित पुरुष और महिला को पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने की स्वीकृति प्रदान करती है।

#### परिवार, सगोत्रता और विवाह के बीच अंत:संबंध

पुरुष व महिला विवाह के पश्चात परस्पर सगोत्र बन जाते हैं। यह विवाह बंधन अनेक रिश्तेदारों को एक साथ जोड़ता है। सगोत्रता वैवाहिक संबंध के माध्यम से रक्त संबंधी या वंशावली के माध्यम से खून के रिश्तेदारों को जोड़ता है। विवाह पुरुष व महिला के मध्य एक मजबूत बंधन है, जिसमें दोनों शेष जीवन व्यतीत करने के लिए पति-पत्नी बन जाते हैं।

पारिवारिक संबंध व्यापक सगोत्र समूहों में पाए जाते हैं। हमें परिवारों के दो सामान्य रूप देखने को मिलते हैं-मूल परिवार तथा विस्तृत या संयुक्त परिवार। मूल परिवार में माता-पिता और बच्चे आते हैं। विस्तृत परिवार या संयुक्त परिवारों में रक्त संबंधी शामिल होते हैं, जैसे-दादा-दानी, नाना-नानी, माता-पिता, चाचा-चाची, भाई-बहन इत्यादि।

#### संयुक्त राष्ट्र घोषणाओं में परिवार की संकल्पना

1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा मानवता की जीत थी, जो व्यक्ति की गरिमा पर आधारित है और अनेक देशों के व्यक्तियों और अपने प्रत्येक सदस्य के लिए सम्मान को प्रोत्साहित व उसकी रक्षा करती है। यह घोषणा आगामी सभी मानवाधिकार सभाओं और दस्तावेजों के लिए प्राधिकृत आधार है। किसी भी वयस्क पुरुष व वयस्क महिला के लिए विवाह का अधिकार मौलिक मानवाधिकार है। मानवाधिकार घोषणा में परिवार को समाज के सहज और मौलिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है तथा वह समाज व राष्ट्र द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने का अधिकार रखता है। इस घोषणा की प्रस्तावना के प्रारंभिक वाक्य हैं कि ये मानवाधिकार 'अन्तर्निहित' और 'अदेय' हैं और मानव गरिमा से जुडे हुए हैं। इस घोषणा की प्रमुख विशेषताओं में प्रमुख हैं–संयुक्त राष्ट्र घोषणा सभी मानवाधिकार दस्तावेजों का स्रोत है और जीवन विज्ञान पर आधारित प्राकृतिक परिवार की सुरक्षा करती है। यह घोषणा मानव अधिकारों की गरिमा पर आधारित है। यह राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर है और कोई भी राष्ट्र ऐसे कानून नहीं बना

सकता, जिनसे इनमें परिवर्तन हो सकें। यह घोषणा वयस्क पुरुषों व वयस्क महिलाओं को विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है।

परिवार व्यक्ति की संपूर्ण गरिमा और उसकी मान्यता व विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल और अद्वितीय संस्था है। परिवार समाज का आधार है। समाज में व्यक्तियों के मानव विकास के लिए मानवाधिकारों के प्रति सम्मान होना आवश्यक है। समाज में व्यक्तियों के मानवीय विकास के लिए मानवाधिकारों के प्रति गरिमा जरूरी है। माता-पिता बच्चे को पालन-पोषण योग्य माहौल प्रदान करते हैं। यदि परिवार मानवाधिकारों द्वारा सुरक्षित व विशेषाधिकार युक्त है, तो वे हर समय व हर स्थान पर वैध हैं। समाज की उत्तरजीवित्ता विवाह और परिवार की मजबूत संस्था पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर परिवार की संकल्पना को पुनः परिभाषित करने की कोशिश की गई है। न्यायिक तथा संसदीय क्षेत्र में भी इस दिशा में सराहनीय कदम उठाए गए हैं। सार्वजनिक चर्चाओं से भी ऐसे प्रयासों को बल मिला है।

#### बच्चे के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1989

सम्मेलन के प्राक्कथन में उल्लिखित है कि यह समाज के मौलिक इकाई के रूप में और परिवार के समस्त सदस्यों विशेष रूप से बच्चों के विकास व कल्याण के लिए प्राकृतिक वातावरण के रूप में परिवार में जरूरी सुरक्षा और मदद की शक्ति होनी चाहिए ताकि वह समुदाय के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णत: स्वीकार कर सके। यह मान्यता प्रदान करता है कि बच्चे को अपने पूर्ण एवं संयत विकास के लिए परिवार में एक खुशहाल, स्नेहपूर्ण और एक-दूसरे का ज्ञान रखने वाले परिवेश में पलना-बढ़ना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार बच्चों को अपने जैविक माता-पिता के संबंध में जानने और उनके साथ रहने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा और बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दोनों में परिवार के महत्त्व की चर्चा की गई है। परिवार सभी समाजों में एक स्वाभाविक संस्था है। समाज परिवार को समर्थन देने को बाध्य होता है, क्योंकि यह बच्चों को जन्म देने वाली एकमात्र और अनिवार्य संस्था है और उनका लालन-पोषण करता है। सम्मेलन की धारा 3 में वर्णन किया गया है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास प्राथमिक विचारणीय विषय होगा। बच्चे को न केवल अपने माता-पिता के संबंध में जानने का अधिकार है, बल्कि उनके लालन-पालन का अधिकार भी है। **परिवार को पुन: परिभाषित करने के प्रयास** 

विभिन्न देशों में अनेक ऐसे सशक्त समूह व व्यक्ति परिवार की संकल्पना को पुन: परिभाषित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस संकल्पना के अंतर्गत वे गोद लिए या गोद लिए बिना समलिंगी संगम, अपने या दत्तक बच्चों वाला एकल माता-पिता, विवाह से उत्पन्न हुए बच्चों को शामिल करें। सामाजिक वैधता का कानूनी वैधता से आवश्यक रूप से कोई संबंध नहीं है। अल्पसंख्यक समूहों

# www.neerajbooks.com

को अपने मानवाधिकारों को कमजोर करने वाले भाग को स्वीकृति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक अधिसंख्यक या अल्पसंख्यक समूह बच्चों के अधिकारों को बदल नहीं सकता।

#### भारतीय संदर्भ में पारिवारिक जीवन

परिवार व्यक्ति का सबसे छोटा समुदाय है, जिसमें वयस्क पुरुष व वयस्क महिला होते हैं, जिन्हें विवाह की संस्था द्वारा एक साथ रहने, संतानोत्पत्ति और उनका पालन-पोषण करने और शिक्षित करने का स्वतंत्र समझौता करते हैं। ऐसे अनेक कार्य होते हैं, जिनके लिए माता-पिता को अन्य परिवारों व समाज से मदद की आवश्यकता होती है। पारंपरिक दृष्टि से भारतीय परिवार में अभी भी संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार एक कुटुम्ब की भांति है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने दायित्वों से अवगत होता है और आवश्यकता के समय अन्य सदस्यों की मदद और एकता का ध्यान रखता है। संयुक्त परिवारों में माता-पिता की सत्ता सर्वोच्च होती है, जिसमें बच्चे व नाती/पोते माता-पिता का सम्मान करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अधिकतर भारतीय परिवारों में अपने बच्चे के लिए विवाह का दायित्व माता-पिता का ही होता है। इस प्रकार के विवाह में बच्चों की पूर्ण सहभागिता होती है जो सदैव विश्वास के साथ अपने माता-पिता के निर्णय से सहमत होते हैं।

आज की युवा पीढ़ी बेहतर शिक्षा और नौकरी के अवसरों के प्रभावस्वरूप और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपर्क में आने के कारण अपने माता-पिता के अधिकार को सहजता से स्वीकार नहीं करता। आज का युवा अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने और जीवन साथी का चयन करने में अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता चाहता है। पूर्व की बजाय आज महिलाएं ज्यादा शिक्षित हैं। ज्यादातर महिलाएं पूर्व की बजाय बड़ी आयु में विवाह करना पंसद करती हैं। वे पारिवारिक मामलों में बोलने और फैसले लेने का अधिकार चाहती हैं और प्राय: परिवार के बाहर कैरियर की इच्छा रखती हैं। **मुल्य प्रथा** 

भारत में अभी भी मूल्यों की संपन्न प्रथा है और यह अभी भी महत्त्वपूर्ण है तथा इसे सरलता से समाप्त नहीं होने देना चाहिए। आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं उपभोक्तावाद के प्रसार से संबंधित अनेक मुद्दे लोगों की जीवनशैली को प्रभावित करते हैं, लेकिन हमें ऐसे मुद्दों को हावी नहीं होने देना चाहिए। 1960 और 1970 के दशकों में उदारवादी विचारधाराओं द्वारा नारीवादी और परंपरागत परिवार प्रथा के अस्तित्व पर चुनौतियों के पक्षधरों ने गंभीर समस्या पैदा कर दी थी। इसके फलस्वरूप विश्व के अनेक समाजों में परंपरागत परिवार प्रथा टूटी है। पारिवारिक जीवन और संबंधों के नए प्रतिमान नई पीढ़ी की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। आज के युवा के समक्ष पुराने रीति-रिवाजों, प्रथाओं और परिवार के प्रतिमानों को बनाए रखना विवेकपूर्ण न हो, लेकिन उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन के सकारात्मक

#### परिवार जीवन की संकल्पना / 3

मुद्दों, नैतिकता, माता-पिता व बड़ों के प्रति आदर की भावना, विवाह और पारिवारिक जीवन के संबंध में शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है।

#### मूल्यों को चुनौती देने वाली प्रवृत्तियाँ

विश्वव्यापी समाज अपनी परंपरागत प्रथाओं के संबंध में अनेक समूहों, घटनाओं और विकासात्मक मुद्दों से संबंधित अनेक समस्याओं का मुकाबला कर रहा है। यह हर्ष का विषय है कि भारतीय लोकतंत्र ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार है और अपनी संस्कृति तथा परंपरागत प्रथाओं को सुरक्षित रखे हुए है। निश्चित रूप से महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया ने देश में ज्यादा सकारात्मक व नकारात्मक प्रवृत्तियों को उत्पन्न किया है। इसके बावजूद ज्यादातर जनसमुदाय अपने पारिवारिक मूल्यों, नैतिक मुल्यों और परंपरागत प्रथाओं को बरकरार रखे हुए हैं। विज्ञान की उन्नति, शिक्षा, मीडिया, प्रौद्योगिकी और पश्चिमी संस्कृति ने भारतीय समाज को भी प्रभावित किया है। इससे प्राचीन पद्धति को चुनौती देने वाली गैर-मानव जातीय प्रथाएं हमारे समाज में पनप रही हैं। हालांकि ये सभी आज के समाज का भाग ही हैं, फिर भी मीडिया के प्रभाव से युवा पीढी अपने मार्ग से भटक रही है, जो समाज के लिए अहितकारी स्थिति है। इस पथभ्रष्ट प्रवृत्ति को रोकने के लिए लोगों को ऐसी सामाजिक समस्याओं के परिणामों के संबंध में जागरूक करना आवश्यक है।

#### परिवार सर्वव्यापक है

परिवार को समाजशास्त्री एक सर्वव्यापक सामाजिक संस्था मानते हैं। यह मानव समाज का प्रमुख अंग है। आमतौर पर परिवार को व्यक्ति तथा समाज के लिए एक बेहतर वस्तु माना जाता है। व्यक्ति के बारे में उसकी उत्तरजीविता, वृद्धि और समाज में सुचारु जीवनयापन के लिए पारिवारिक जीवन आवश्यक है। समाज की उत्तरजीविता और स्थायित्व परिवार में जन्मे और अच्छे नागरिक के रूप में पाले गए मानव पर निर्भर करती है। कुछ नारीवादी लेखक संस्था के रूप में परिवार की निन्दा की सीमा पार कर गए हैं। यद्यपि ऐसे कृत्यों ने परिवार और उसकी परंपरागत प्रथा की जड़ों को खोखला कर दिया है, लेकिन इससे परिणाम सकारात्मक नहीं रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि ऐसे प्रयासों के योगदान से परिवार के टूटने से समाज और मानव उत्तरजीविता की निरंतरता समाप्त हो जाती है।

### परिवार जीवन शिक्षा में विभिन्न प्रकार के मूल्यों का महत्त्व

यदि संसार के सभी समाजों पर नजर डालें तो भारत में पारिवारिक परंपराएँ व संस्कृति सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। वर्तमान दौर में सम्बन्धों में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनका कारण लोगों की महत्त्वाकांक्षाओं का बदलना है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सम्बन्धों में उससे जुड़ी महत्त्वाकांक्षाओं के आधार पर स्थायित्व आता है।

# www.neerajbooks.com

#### 4/NEERAJ : परिवार जीवन शिक्षा का परिचय

विवाह में सहयोगी की महत्त्वांकाक्षा, लोगों के बीच सम्बन्ध सहयोग व संचार प्रक्रिया की सीमा पर निर्भर करता है। दम्पति में माता-पिता व बच्चों के बीच प्रेम का आधार भावनात्मक संचार है।

भारतीय समाज में आज भी सम्बन्धों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सम्बन्ध अधिक नहीं बदले हैं, लेकिन उन पर पश्चिमी संस्कृति तथा उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव भी अवश्य देखने को मिल रहा है।

पारिवारिक जीवन व विवाह में स्थायित्व स्वस्थ बंधनों के निर्माण पर निर्भर करता है। आज अनेक देशों में यौन संबंधों को वैवाहिक जीवन का एक अंग न मानकर एक क्रिया माना जा रहा है, जिससे विवाह सम्बन्धों की मूल भावना को हानि पहुँच रही है जो परिवार और समाज के अस्तित्व के लिए खतरा है।

पारिवारिक जीवन शिक्षा में युवा लोगों को यह समझाना चाहिए कि स्त्री-पुरुष की शारीरिक संरचना का आधार जैविक है तथा शरीर की जरूरत के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेम में भावना होना भी जरूरी है। यौन क्रिया जीवन का अंग है तथा इसके बिना बच्चों का जन्म नहीं हो सकता। इसमें स्त्री-पुरुष दोनों ही सहयोग करते हैं। बच्चे के जन्म और पालन-पोषण दोनों के लिए माता-पिता के सम्बन्धों का स्वस्थ होना जरूरी है।

#### मातृत्व, पितृत्व व मातृपितृत्व

पितृत्व और मातृत्व की अवधारणा का सम्बन्ध माता-पिता के अपने बच्चों और परिवार के प्रति उत्तरदायित्वों के निर्वहन से है। यह सभी समाजों में उपस्थित है। तलाक, वैधव्य अथवा अलगाव के कारण इसमें अवरोध आता है। मातृत्व तब तक वास्तविक नहीं है जब तक माँ का व्यक्तिगत अनुभव अपने बच्चे के विषय में न हो।

मातृपितृत्व मातृत्व और पितृत्व से अलग अवधारणा है। मानव अपने व्यवहार के विभिन्न पहलुओं से प्रभावित नहीं होता। वह समय के साथ-साथ सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया में सामाजिक नियमों तथा प्रतिमानों को सीखता है। वह दूसरों से सम्बन्ध कायम कर प्रतिभा तथा कौशलों का विकास करता है। परिवार उसे समाज में सम्बन्ध बनाने और पहचान बनाने का आधार देता है। वयस्क होने पर वह विवाह की संस्था से जुड़ता है और अपने उत्तरदायित्वों

के निर्वहन में मातृत्व-पितृत्व की भावना से जुड़ता है। जीवन की संस्कृति

पारिवारिक जीवन की उन्नति को व्यापक बनाने के लिए एक उचित रणनीति की जरूरत है क्योंकि आज व्यक्तिगत अधिकारों को अधिक मान्यता देने की परंपरा चल पड़ी है। व्यक्तिगत अधिकारों की माँग से सर्वकल्याण के हितों को हानि पहुँची है।

मरणासन्न बीमार व्यक्ति के रूप में जीवन की अपेक्षा मृत्यु की चाह रखना अमानवीय नहीं है, परंतु हमारा संविधान इच्छामृत्यु की आज्ञा नहीं देता। माता-पिता व युवाओं का कर्त्तव्य है कि वे प्राकृतिक मृत्यु की अवधारणा को बचाने का प्रयास करें। गर्भपात एक अनैतिक कार्य है, जिसमें एक ऐसे शिशु की हत्या कर दी जाती है, जिसे प्रेम व सुरक्षा की जरूरत थी। हालांकि अनेक परिस्थितियों जैसे गंभीर रोग या माता के जीवन की रक्षा के लिए गर्भपात को मान्य भी माना जाता है।

गर्भधारण एक जैविक प्रक्रिया है तथा एक नए प्राणी के जन्म के लिए आवश्यक है, परंतु स्वार्थ के कारण अनेक अनैतिक व अप्राकृतिक तरीकों से इसे प्रतिवेदित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में नौजवानों को जागरूक करना आवश्यक है। संसार में अनेक जीव विरोधी शक्तियाँ अपना अस्तित्व बना रही हैं, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों को सर्वकल्याण के लिए समाप्त करना मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है।

युवाओं को जीवन संस्कृति की शिक्षा देना जरूरी है ताकि वे जीवन की स्वतंत्रता और इस ईश्वरीय वरदान का महत्त्व समझ सकें और गर्भस्थ शिशु के जीवन की रक्षा का प्रयास कर सकें। विकसित देशों में सहअस्तित्व की भावना से तलाक की दर बढ़ी है, गर्भपात में बढ़ोतरी हुई है और विवाहों को कानूनी दर्जा दिया गया है।

अनेक देशों में आज समलैंगिकता को भी मान्यता दी गई है, परंतु भारत में अभी भी समलैंगिकता को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 377 के अंतर्गत समलिंगी कार्य एक आपराधिक कार्य है। अभी हाल ही में इस धारा को रद्द करते हुए एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया। न्यायालय की कार्यवाही के दौरान यह कहा गया कि जब सरकारी नागरिक समाज में नैतिकता को नियंत्रित नहीं किया जा सका तो कानून को ही लोक-नैतिकता और समाज को नुकसान पहुंचाने वाली चिन्ताओं को अभिव्यक्त करना पड़ा। यदि इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो कानून के लिए जो कुछ सम्मान शेष है वह भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समलिंगी विवाह नैतिकता के विरुद्ध है। एक अच्छे समाज को बनाए रखने के लिए नैतिक पर्यावरण का होना आवश्यक है।

समाज में विवाह संस्था और परिवार की नींव को कमजोर करने वाले इन नकारात्मक रुझानों को रोकना होगा। इसके लिए जीवन संस्कृति को प्रोत्साहन देना होगा जो जीवन मूल्यों पर आधारित हो, जिसमें स्त्री-पुरुष एक-दूसरे को समझें, सम्मान दें तथा सुखद वैवाहिक जीवन के लिए शारीरिक सम्बन्धों की स्वस्थता के साथ भावनात्मक सम्बन्ध भी स्वस्थ हों। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए परिवार के परंपरागत मूल्यों को बचाया जाए और उसके लिए विस्तृत सामाजिक सहयोग हो।